

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर**

क्रमांक एफ 5/माडा/4/18 आवश्वासन/18-19/22264-75 दिनांक 4.6.19

मुख्यकारी अधिकारी  
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)  
जयपुर।

विषय : सामुदायिक भवन निर्माण की वित्तीय स्वीकृति।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 24609-18 दिनांक 21.08.2017 द्वारा नेवर ग्राम में सामुदायिक भवन निर्माण ग्रा.प. नेवर पं.स. जमवारामगढ के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति राशि रु. 5.00 लाख की जारी की गई।

कार्यकारी एजेन्सी पंचायत समिति जमवारामगढ से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने पर निम्नानुसार वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है-

**सामुदायिक भवन निर्माण**

(राशि लाख रु.)

क.सं.	कार्य का नाम व स्थान	तकनीकी स्वीकृति	
		क्र./दि.	राशि
1	2	3	4
1.	नेवर ग्राम में सामुदायिक भवन निर्माण ग्रा.प. नेवर पं.स. जमवारामगढ	क.त.स. जमवारामगढ/ 1757/02.03.2019	5.00

उपरोक्त कार्य पर राशि का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं- 78/18-19 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि रु. 500.00 लाख में से होगा। यह राशि आयुक्तालय के निजी निक्षेप खाते में उपलब्ध है।

शर्त :-


- यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। दोहरा व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
- सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य सार्वजनिक एवं निर्विवाद भूमि पर कब्जा प्राप्त कर प्रारंभ कराया जावे। प्रस्तावित सामुदायिक भवन से अधिकांश जनजाति आबादी लाभान्वित हो।
- कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की प्रचलित ग्रामीण कार्य निर्देशिका की शर्तों के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
- राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावे। तकनीकी स्वीकृति के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे। आर.सी.सी फ्रेम स्ट्रक्चर निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जावे।
- कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लोटाई जावे।
- कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
- निर्माण पश्चात् सामुदायिक भवन का संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही राशि हस्तांतरित की जावे।
- कार्य के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन के लिए तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

(रामजीधर मीणा)R.A.S  
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

कृ.पू.उ.

क्रमांक एफ 5/माडा/4/18 आवश्वासन/18-19 22264-75 दिनांक : 4.6.19  
प्रतिलिपि-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. जिला कलक्टर जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जिला परिषद जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) जयपुर।
6. निदेशक मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति सं- 78/18-19 द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु प्राप्त राशि रु. 500.00 लाख में से राशि रु. 5.00 लाख (अक्षरे पाँच लाख) मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) जयपुर को हस्तांतरित करे।
8. विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर।
- ✓ 9. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
10. अभियांत्रिकी शाखा कार्यालय हाजा।
11. गार्ड पत्रावली ।

  
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)  
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग  
उदयपुर (राज.)